संख्या-06/2019/ 153 /कनिप्र/26-3-2019-20(59)/2000

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. निदेशक,
   समाज कल्याण,
   उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी,
   गोरखपुर/महाराजगंज
   कुशीनगर/ गोण्डा।
3. संबंधित मुख्य विकास अधिकारी,
   गोरखपुर/महाराजगंज
   कुशीनगर/ गोण्डा।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक : 31 जनवरी,2019
समाज कल्याण विभाग

विषय: अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-33/2018/1266/क.नि.प्र./26-3-2018-13(163)/91 दिनांक 16 अक्टूबर,2018 द्वारा नि:शुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु जनपदवार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये हैं।

2- प्रश्नगत योजनान्तर्गत बोरिंग कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था ग्रामोद्दयोग विकास संस्थान, लखनऊ द्वारा अवगत करायी गयी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित जनपदों हेतु नि:शुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

क्र.सं.	जनपद का नाम	वर्तमान निर्धारित लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य
1	2	3	4
1	गोरखपुर	400	100
2	महाराजगंज	475	775
3	कुशीनगर	450	150
4	गोण्डा	650	950
	योग-	1975	1975

3- उपरोक्त के संबंध में शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में नि:शुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि को उपरोक्तानुसार संशोधित किए जा रहे लक्ष्यों के सापेक्ष संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-33/2018/1266/ क.नि.प्र./26-3-2018-13(163)/91 दिनांक 16 अक्टूबर,2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या- 06/2019/ 153 /(1)/क.नि.प्र./26-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), जनपद गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर एवं गोण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह योजनान्तर्गत बोरिंग कराये जाने हेतु संशोधित लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थियों/स्थल चयन शीघ्र करते हुए चयनित लाभार्थियों की सूची कार्यदायी संस्था को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- वित्त नियन्त्रक, निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि योजनान्तर्गत शासन द्वारा आवंटित धनराशि संशोधित लक्ष्यों के अनुसार संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- अध्यक्ष, ग्रामोद्योग विकास संस्थान,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि संशोधित लक्ष्यों के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधा श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।